भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु.

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

15 JUN 2005

02CC 753337

1

<u>विक्रयपत्र</u>

वांछित विवरण
किस्म दस्तावेज – विक्रयपत्र
मालियत विक्रयपत्र– 4,00,000/–रुपए
सर्किल रेट अनुसार मूल्यांकन–7,92,000/–रुपए
स्टाम्प शुल्क – 47,600/–रुपए
क्षेत्र – नगरनिगम क्षेत्र, मौजा जाखन
संपत्ति का प्रकार – आवासीय
विक्रीत क्षेत्रफल – 360.00 वर्गमीटर
विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं है।
विक्रीत भूमि नगरनिगम सीमा के अन्दर स्थित है।
पक्षों के मध्य कोई पंजीकृत अनुबन्ध नहीं हो रखा है।
विक्रीत भूमि में कोई पेड़ या बाग आदि नहीं है।
विक्रीत भूमिखण्ड की बाबत कोई सीलिंग वाद अन्र्तगत धारा 2 व 10(5) लंबित नही है ना ही अन्र्तगत धारा 20 कोई छूट प्राप्त की गई है।
विक्रीत भूमि मुख्य सड़क राजपुर रोड़ से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर मौजा जाखन भागीरथी पुरम् फेज–1, परगना केन्द्रीयदून तहसील व जिला देहरादून में स्थित है। सर्किल रेट की सूची के पृष्ठ–08 में क्रम संख्या–01 पर अंकित सर्किल रेट 2200/–रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से विक्रीत भूमि की कीमत 7,92,000/–रुपए आती है। जिस पर नियत 6 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क 47,600/–रुपए अदा किया जा रहा है।
विक्रीत संपत्ति नगरनिगम क्षेत्र में स्थित है। अतः उस पर उत्तरांचल सरकार द्वारा पारित अधिनियम के प्राविधान लागू नही है।

Scanned with CamScanner

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 753338

15 JUN 2005

कोषागार, देहरादून

2

यह विक्रयपत्र दून वैली इंजीनियर्स सहकारी आवास समिति लि0, देहरादून द्वारा संचिव श्री राजेन्द्र गुनसोला पुत्र श्री रतन सिंह गुनसोला, निवासी 179, पण्डितवाड़ी जिला देहरादून ...... विक्रेता –समिति

एवं

1– श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 श्री घनश्याम सिंह, 2–श्रीमती कान्ता पत्नी श्री अरविन्द कुमार, निवासी 158/7/7, आफिसर्स कालोनी, राजपुर रोड, देहरादून .....क्रेता

के मध्य निष्पादित किया गया है।

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

19461

5

18 JUL 2005

A.T.O. (Cash)
[illegible] D.Dun.

अतः विक्रेता समिति ने उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु निम्नांकित भूमिखण्ड को क्रेता सदस्य को मुबलिग 4,00,000/–चार लाख रुपए में विक्रय करना तय किया है और क्रेता सदस्य ने स्वीकार किया है। क्रेता ने उक्त धनराशि विक्रेता समिति को मुबलिग 4,00,000/–रुपए निम्नानुसार प्राप्त अदा कर दिया है :

अ– मुबलिग 4,00,000/–रुपये द्वारा चैक संख्या– 416988 248025003 दिनांक 03–08–2005, सिंडिकेट बैंक, देहरादून से प्राप्त

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

Issued From
Treasury Dehra-Dun.
25 JUL 2005
A.T.O. (Local)
Treasury D.Dun.

23040

6

जो कि विक्रेता समिति को आज भी स्वीकार है। इस प्रकार विक्रेता समिति ने क्रेता से पूर्ण विक्रय धनराशि प्राप्त कर ली है, जिसकी प्राप्ति श्रीमान सब-रजिस्ट्रार महोदय, देहरादून के समक्ष स्वीकार है। कुछ लेना शेष नही रहा है। मौके पर भूमि का वास्तविक व रिक्त कब्जा पाक व साफ तौर पर क्रेता करा दिया गया है।

आज से उक्त क्रेता महोदय विक्रीत भूमिखण्ड पर विक्रेता के समान पूर्ण स्वामी, मालिक, काबिज व अधिकारी हो गए हैं। क्रेता को अधिकार होगा कि वह जिस प्रकार से चाहे विक्रीत भूमिखण्ड में भवन निर्माण करे और अपने उपयोग उपभोग में लाकर लाभ उठाए विक्रेता को कोई आपत्ति ना होगी। क्रेता को अधिकार होगा कि वह कागजात माल व स्वामित्व आदि से विक्रेता समिति का नाम खारिज कराकर अपना नाम अंकित करा ले। विक्रेता समिति को कोई आपत्ति ना होगी।

Scanned with CamScanner

1000RS.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

19460

7

18 JUN 2005
A.T.O. (Cash)
Treasury [illegible]

यदि क्रेता के हित या स्वामित्व की पुष्टि हेतु कोई अन्य लेख या बयान आदि लिखकर देने की आवश्यकता होगी तो विक्रेता समिति ऐसे लेख व बयान आदि क्रेता के खर्च पर दे देगें। विक्रीत भूमि पर यदि आज दिन तक का कोई पिछला कर, देय लगान आदि कोई बकाया हुआ तो उसे विक्रेता समिति अदा करेगें, आज के बाद क्रेता महोदय अदा करने के जिम्मेदार होगें।

विक्रीत भूमि से सम्बन्धित जो भी अधिकार आज दिन तक विक्रेता समिति को प्राप्त थे या प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त किएं जा सकते है उन सब के स्वामी व अधिकारी आज से उक्त क्रेता हो गए है। विक्रीत भूमि, कुल या उसका कोई भाग यदि विक्रेता समिति के किसी विक्रय अधिकार, दोष के कारण क्रेता के कब्जे से निकल जाय या उसे कोई हानि सहन करनी पड़े तो उसकी सब जिम्मेदारी व देनदारी मय सूद कानूनी विक्रेता समिति पर होगी।

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

18 JUL 2005

A.T.O. (Gaph)
Treasury, D.Dun.

19458

इस विक्रयपत्र में जहां जहां भी शब्द विक्रेता समिति एंव क्रेता अथवा इनके पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वहां वहां उनके अपने अपने उत्तराधिकारी, स्थानापन्न एंव हित प्रतिनिधि आदि भी सम्मिलित हैं और सदैव शामिल समझे जायेगें।

क्रेता महोदय ने विक्रीत भूमिखण्ड समिति के नियम तथा उपनियम के अर्न्तगत क्रय
किया है और क्रेता महोदय समिति के नियम तथा उपनियमों का सदैव पालन करता
रहेगा। क्रेता सड़क/जल/विद्युत के रखरखाव हेतु समिति द्वारा निर्धारित 1.50/—रुपए
प्रति वर्गमीटर की दर से राशि प्रतिवर्ष समिति को तब तक अदा करता रहेगा, जब तक
विक्रीत भूमि का स्थानान्तरण स्थानीय निकाय को नहीं हो जाता। यदि क्रेता यह
धनराशि देने में असमर्थ रहता है तो विक्रेता को अधिकार होगा कि वह क्रेता की सभी
आवश्यक सुविधाएं समाप्त कर दे। इसका पालन क्रेता को अपने उत्तराधिकारी सहित
करना होगा। क्रेता के जब कभी अपने भूखण्ड पर मकान आदि बनाने के समय अगर
क्रेता द्वारा सड़क या पानी के पाईप आदि की क्षति होती है तो वह उसको अपने खर्चे
पर ठीक करेगें, वर्ना उसकी सुविधा समिति द्वारा समाप्त कर दी जाएगी।

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

19459

18 JUL 2005

A.T.O. (Cash)
Treasury, D.Dun

9

विक्रेता समिति ने विक्रयपत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार अपने सचिव श्री राजेन्द्र गुनसोला को द्वारा प्रस्ताव संख्या– 5 दिनांक 15, मई, 1989 के द्वारा दिया हुआ है और सचिव को विक्रयपत्र पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करने व विक्रयपत्र सम्पादित व पंजीकृत करने का अधिकार प्राप्त है। समिति अपने सदस्यों को आवन्टित भूमि का विक्रयपत्र बिना किसी लाभ व हानि के करा रही है। क्रेता सदस्य समिति उपनियम 35(12) के अन्तर्गत सचिव महोदय की अनुमति मिलने पर तथा विक्रय करते समय लागू सर्किल रेट पर मूल्यांकन का 10 प्रतिशत अदा करने पर ही अपना भूखण्ड स्थानान्तरित कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

TREASURY, D.DUN

10

विवरण विक्रीत भूमि

एक भूमिखण्ड, जिसका नया भूमि खसरा नंबर– 339 च, प्लाट नंबर 17 है, रकबा 360 वर्गमीटर, (तीन सौ साठ वर्गमीटर) स्थित मौजा जाखन, (भागीरथी पुरम् भाग–1) परगना केन्द्रीयदून जिला देहरादून, जिसकी सीमायें निम्न हैं :

उत्तर में	:	प्लाट नंबर– 10	–सीमा में नाप 12 मीटर
दक्षिण में	:	9 मीटर चौड़ी सड़क	–सीमा में नाप 12 मीटर
पूरब में	:	भूमि सोसायटी	–सीमा में नाप 30 मीटर
पश्चिम में	:	प्लाट नंबर– 16	–सीमा मे नाप 30 मीटर

यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त दक्षिण दिशा में स्थित 09 मीटर चौड़ी सड़क विक्रीत प्लाट संख्या–17 पर समाप्त हो जाती है।

Scanned with CamScanner

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

उत्तरांचल UTTARANCHAL

11

028

अतः यह विक्रयपत्र अंकित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय अनुसार काम आए। इति लिखित दिनांक 03 अगस्त, सन 2005 ई0 स्थान देहरादून।

हस्ता0------------------विक्रेता–समिति
द्वारा सचिव

हस्ता0------------------क्रेता

गवाह विजय सिंह एड0
कचहरी देहरादून

गवाह देवेन्द्र भट्ट S/o स्व ...
R/o गोविन्द गढ़ देहरादून

मेरे कार्यालय में मेरे द्वारा रचित व तैयार किया गया :

(विजय सिंह)
एडवोकेट
कचहरी, देहरादून

विक्रेता

क्रेता

गवाह

बही न. 1	जिल्द 1,337	पृष्ठ 984
ए.डी.फा.बुक 1	जिल्द 1526	पृष्ठ 631 से 640

में न. 5522 पर आज दिनांक 03/08/2005 में रजिस्ट्री की गई ।

उप निबन्धक, सदर । देहरादून